फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सरजीतसिंह आदि बनाम सरजीतकौर व अन्य

किस्म मुकदमाः–212 आरटीए प्रकरण संख्याः–116/2021

(3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 9/1 व 9/2 के ससुर/दादा व अप्रार्थी संख्या 10 ता 12 के पिता बन्ता सिंह पुत्र किशनसिंह जाति मजहबी निवासीयान 10 क्यू के नाम से तहसील सूरतगढ़ वाके रोही करडू के खसरा संख्या 191 में 3.693 हैक्टर व खसरा संख्या 192 में 15.682 हैक्टर व खसरा संख्या 195 में 7.284 हैक्टर कुल 26.659 हैक्टर बारानी दोयम भूमि गिरदावरी सम्वत् 2038 में खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी। प्रार्थीगण के पिता बन्तासिंह पुत्र किशनसिंह अनपढ़ था जिसका नाजायज फायदा उठाकर तथाकथित जीतासिंह पुत्र किशनसिंह कौम मजहबी ने सरकारी मशीनरी से मिलीभगत क प्रार्थीगण के पिता बन्तासिंह पुत्र किशन सिंह के स्थान पर जीतासिंह वल्द किशनसिंह दर्ज करवा लिया है। जीतासिंह पुत्र किशनसिंह को जैरवाद रकबा कभी भी ना तो आवंटन हुआ है व ना ही जीतासिंह वल्द किशनसिंह का कब्जा काश्त रहा है। मात्र गिरदावरी में गलत अंकित करवाकर जबरदस्ती अप्रार्थीगण कब्जा करने की फिराक में है। उक्त गलत अंकन के आधार पर जीतासिंह वलद किशनसिंह के फौत हो जाने के उपरान्त जैरवाद रकबा तथाकथित तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 ने अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया। उक्त जैरवाद रकबा अप्रार्थीगण के पिता को कभी आवंटन नही हुआ व ना ही कभी कब्जा काश्त में रहा है। मात्र तथाकथित अंकन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के नाम रकबा दर्ज होने से वो आगे रहन, बेचान करने पर उतारू है। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 9 ता 12 को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व ना पुरा होने वाला नुकसान प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 11.08.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि ग्राम करडू की सम्वत् 2011 की जमाबंदी अनुसार जन्ता सिंह वल्द किशनसिंह कौम मजहबी साकिन 10 क्यू जिला श्रीगंगानगर के खसरा संख्या 29 में 100 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड अंकित हुई। गिरदावारी सम्वत् 2027 ता 29 जन्तासिंह वल्द किशनसिंह के नाम से आराजीकाश्त 55 से पूर्व की 100 बीघा दर्ज हुई जो बाद में खातेदारी दर्ज कागजात हुई। बरवक्त भू–प्रबन्धक रोही करडृ तहसील सूरतगढ़ के खसरा संख्या 191 में 3.693 व 192 में 15.682, 195 में 7.284 हैक्टर पैमुद हुआ। सहवन से जन्ता सिंह पुत्र किशनसिंह के स्थान पर जीत सिंह पुत्र किशनसिंह दर्ज कर दी गई। जीतसिंह कभी प्रश्गनत भूमि का आरजी अथवा खातेदार काश्तकार दर्ज नही रहा वास्तव में भूमि जन्तासिंह पुत्र किशनसिंह की थी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी। यह तथ्य स्वीकार है कि भूमि जीत हिस को आवंटन नही हुई किन्तु साथ यह भी है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में रोही करडृ के खसरा संख्या 29 व 29/1 से संबंधित है, जो कि जन्तासिंह को आवंटित व खातेदारी रही। जिस पर जन्ता सिंह के वारिसानों का ही कब्जा काश्त है। इसमें बन्तासिंह अथवा उसके वारिसानों का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। प्रश्गनत भूमि जन्तासिंह पुत्र किशनसिंह की खातेदारी है। जिस पर पूर्व में जन्तासिंह पुत्र किशनसिंह व वर्तमान में उसके वारिसों का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का कब्जा जैरवाद भूमि पर कभी भी नही रहा है। प्रार्थीगण निराधार दस्तावेजी राजस्व रिकार्ड के गलत पठन के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त कर पूर्व में जारी स्थगन निरस्त किया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही करडृ क खसरा संख्या 191, 192, 195 की कुल 26.659 हैक्टर बारानी दोयम भूमि प्रार्थीगण के पिता बन्तासिंह के नाम अंकन थी, जिसे अप्रार्थी 1 ता 8 के पति/पिता/दादा ने मिलीभगत कर जीतासिंह वल्द किशन सिंह दर्ज करवा लिया, जबकि उन्हे कभी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(५)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2024	ना तो आवंटन हुआ व ना ही कब्जा काश्त में रहा है। किन्तु प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है, जिससे यह साबित हो कि यह रकबा प्रार्थीगण के पिता बन्तासिंह के नाम दर्ज रहा हो। जबकि मुताबिक रिकार्ड यह रकबा जन्तासिंह वल्द किशनसिंह के नाम अंकित रहा है। इसलिये मात्र कथन के आधार पर यह नही माना जा सकता की जैरवाद रकबा प्रार्थीगण के पुर्वजों के नाम अंकित रही हो। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा ना पुरा होने वाला नुकसान प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त कर दिनांक 11.08.2021 को जारी टी.आई. भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)